हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए

5 पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थीगण की ओर जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया। अप्रार्थीगण को जवाब प्रार्थना पत्र हेतु पर्याप्त अवसर दिये जा चुके है। अतः अप्रार्थीगण का जवाब का अवसर बंद किया जाता है। पत्रावली बहस वास्ते दिनांक 3/10/25 को पेश हो।

3/10/25 पत्रांवली पेश हुई। प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र नियुक्त करने रिसीवर बाबत दिनांक 15.09.2011 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र नियुक्त करने रिसीवर पर बहस नही जा रही है। जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण को प्रकरण में रिसीवर नियुक्त करने की आवश्यकता नही है। चूंकि प्रकरण दिनांक 15.09.2011 से न्यायालय में लम्बित है। वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र नियुक्त करने रिसीवर प्रस्तुत किये जाने के उपरांत 14 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात रिसीवर नियुक्त किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। उक्त परिस्थितियों में हमारे विनम्र मत में जबकि प्रार्थीगण स्वयं की रूचि स्थगन प्रार्थना पत्र में नही है, हम उक्त प्रार्थना पत्र को निस्तारित किया जाना न्यायोचित पाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा